स्मार्ट सिटी का वित्तपोषण

कुमार वी. प्रताप
आर्थिक सलाहकार
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

यूएलबी की ज़िम्मेदारियां एवं वित्त

जिम्मेदारियां

- जल एवं मल-प्रवाह प्रावधान; अपशिष्ट जल उपचार
- प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल
- स्लम उन्नयीकरण
- स्थानीय सड़क और सार्वजनिक परिवहन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता भू-भराव
- श्मशान और कब्रिस्तान का रखरखाव
- पथ प्रकाश
- सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदान
- पुस्तकालय

वित्त का स्रोत

- संपत्ति कर
- वृत्ति-कर
- मनोरंजन कर
- विज्ञापन कर
- चुंगी और प्रवेश कर

स्मार्ट शहरों की वित्तीय व्यवस्था हेतु अतिरिक्त संसाधन

स्मार्ट शहरों की वित्तीय व्यवस्था हेतु अतिरिक्त संसाधन

- राज्यों/यूएलबी द्वारा समान योगदान: ~ रु. 500 करोड़
- उपयोगकर्ता शुल्क
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)
- एफएफसी सिफारिशें (भूमि आधारित उपकरणों सहित)
- नगरपालिका बांड
- द्विपक्षीय एवं बहुपक्षों से उधार
- राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)
- अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समाभिरूपता

उपयोगकर्ता शुल्क

शहरी अवसंरचना में प्रयोक्ता प्रभार लागत वसूली से बहुत कम

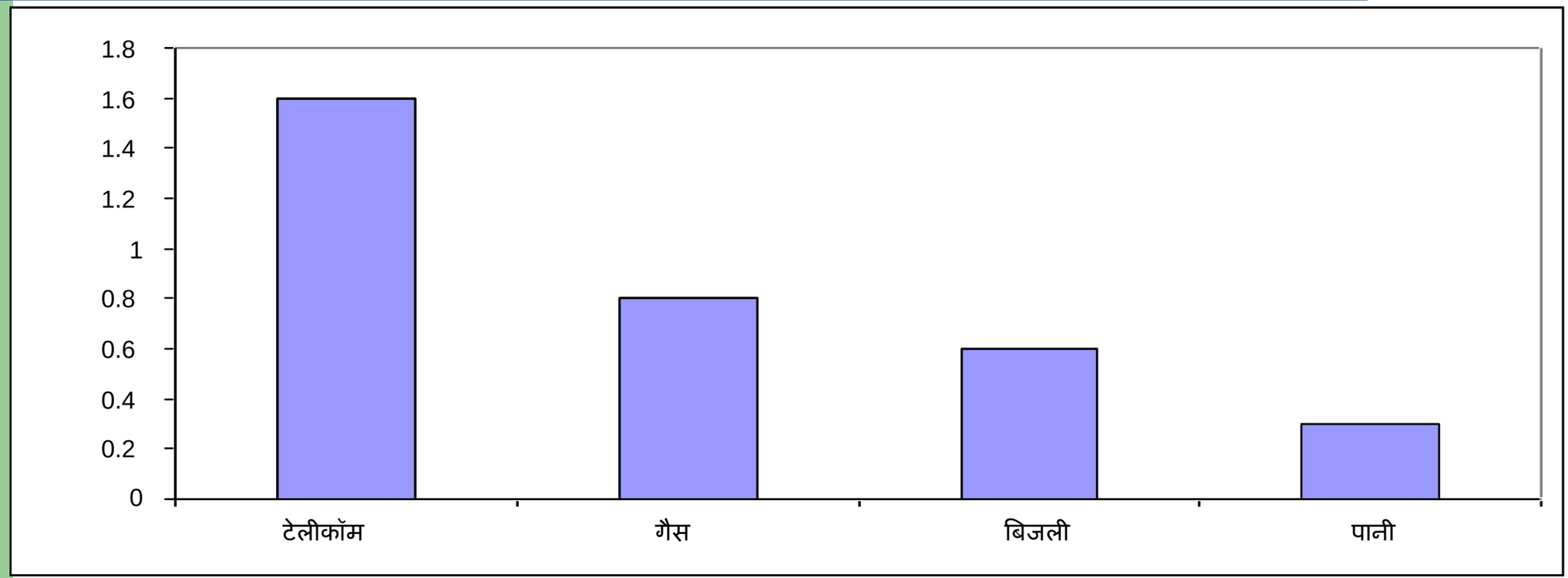

चुने गए शहरी स्थानीय निकायों की औसत लागत वसूली, (2007-08)

शहर	शहरी सेवाओं पर राजस्व व्यय (रु. करोड़)	शहरी सेवाओं से राजस्व प्राप्ति (रु. करोड़)	औसत लागत वसूली (%)
महानगरीय शहर			
हैदराबाद	347	139	40
भोपाल	49	20	41
लखनऊ	16	3	18
अन्य शहर			
अमरावती	26	2	8
पलक्कड़	3	2	55

पार्किंग शुल्क

- स्थानीय सरकारों के लिए, पार्किंग शुल्क प्रयोक्ता प्रभारों द्वारा राजस्व बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण साधन है
- दुगुना प्रभाव - इससे सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के विकल्प प्रभावित होते हैं

2011 के विभिन्न शहरों में पार्किंग शुल्क की तुलना

भारत	पार्किंग शुल्क ($)
बैंगलोर	1.54
दिल्ली	1.32
मुंबई	1.11
चेन्नई	0.99
विदेश	
दुबई	4.08
बीजिंग	7.05
बैंकाक	13.2
हांगकांग	28.25
न्यूयॉर्क	41
लंदन	65.97

प्रयोक्ता प्रभार लगाने के सिद्धांत

- जहां सेवाएं मापी जा सकती हैं और लाभार्थियों का पता लगाया जा सकता है, वहां कर के बजाए प्रयोक्ता प्रभार लागू हों → जल एवं मल-प्रवाह प्रभार सम्पत्ति कर में शामिल न करके अलग से लगाए जाएं
- प्रयोक्ता प्रभार इस तरह तय किए जाएं कि कम-से-कम ओएंडएम लागत की भरपाई हो
- मुद्रास्फीति में स्वचालित आंशिक सूचीकरण करने से समय के साथ सुचारू वृद्धि होगी
- प्रयोक्ता प्रभार सेवा की सुधरी हुई गुणवत्ता के साथ जोड़ा जाए
- राजस्व के स्त्रोत बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, यूएलबी द्वारा पार्किंग शुल्क लगाए जाएं

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

- जल आपूर्ति, मल-प्रवाह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों में अनेक अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं अपूर्ण हैं
- शहरी अवसंरचना और निजी क्षेत्र की क्षमताओं हेतु पूंजी पाने के लिए पीपीपी महत्वपूर्ण है
- तथापि, शहरी अवसंरचनाओं में पीपीपी बहुत कम सफल हुई है क्योंकि लागत की वसूली पर्याप्त नहीं होती और इससे राजनैतिक संवेदनशीलता भी संबद्ध है

पीपीपी के आवश्यक घटक - स्मार्ट शहरों पर भी लागू

- पीपीपी सार्वजनिक एवं निजी पक्ष के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार हैं जिसमें निजी पक्षः
  - विस्तारित अवधि तक वह कार्य करता है जो परम्परागत तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है;
  - संबंधित निर्माण, वाणिज्यिक एवं प्रचालनीय जोखिम उठाता है; और
  - बदले में सार्वजनिक प्राधिकारी के बजट में से, या प्रयोक्ता शुल्कों से या इन दोनों के संयोजन से लाभ पाता है।

13

निजी भागीदार के जोखिम का स्तर संविदा के प्रकार पर निर्भर करता है

- प्रबंधन संविदा - सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी पक्ष के जोखिम न्यूनतम होते हैं
- पट्टा संविदा - इसके अलावा, निजी पक्ष प्रचालन एवं संग्रहण जोखिम भी उठाते हैं
- बीओटी (एवं आरओटी) संविदा - निजी भागीदार निवेश एवं वित्तीय जोखिम भी उठाते हैं

पीपीपी की सर्वोत्तम प्रथाएं

- **बाज़ार की प्रतिस्पर्धा** और इससे पैसे का मूल्य सुनिश्चित करने, तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाना आवश्यक है
- दो चरण वाली बोली प्रक्रिया
- आरएफपी चरण में एकल बोली पैरामीटर (प्राचल)
  - सरकार द्वारा दिया जाने वाला निम्नतम अर्थसाहाय्य (भारत में व्यवहार्यता अंतर निधीकरण)
  - निम्नतम वार्षिकी भुगतान (बीओटी - वार्षिकी परियोजनाएं)
  - निम्नतम प्रारंभिक प्रशुल्क

पीपीपी व्यवस्थाओं से जुड़ने पर भारत सरकार द्वारा यूएलबी को सहायता

- दस्तावेज़ों का मानकीकरण - मॉडल दस्तावेज़ सामान्य होते हैं और अधिप्राप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ***पारदर्शिता, निरंतरता*** और ***पूर्वकथनीयता*** प्रदान करते हैं, जिससे ***तटस्थ*** एवं ***तुरंत निर्णय*** लिए जा सकें
- **शहरी जल आपूर्ति में आदर्श छूट करार** विकसित किया जा रहा है जिसमें निम्न शामिल हैं:
  - सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच जोखिम आवंटन
  - निष्पादन मानक एवं कवरेज लक्ष्य
  - कुछ जोखिम कम करने के लिए मुद्रास्फीति में प्रशुल्क सूचीकरण
  - यूएलबी स्तर पर लचीलापन संभव होगा

शहरी जल आपूर्ति में पीपीपी का औचित्य– सेवाओं और कवरेज में सुधार

- पीपीपी में, परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सार्वजनिक एजेंसियों के पास रहेगा
- प्रशुल्कों का विनियमन सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा
- जल संसाधनों के इष्टतम/उचित उपयोग का लक्ष्य
  - 24x7 जल आपूर्ति
  - जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार
  - आपूरित क्षेत्रों (विशेषतः गरीब) को सहायता
  - अपव्यय और रिसाव घटाना - गैर-राजस्व जल घटाना

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

	सिफारिशें	% ↑ पिछले वित्त आयोग से अधिक
दसवां वित्त आयोग	रु. 1,000 करोड़ का अनुदान	
ग्यारहवां वित्त आयोग	रु. 2,000 करोड़ का अनुदान	100%
बारहवां वित्त आयोग	रु. 5,000 करोड़ का अनुदान	150%
तेरहवां वित्त आयोग	रु. 23,111 करोड़ का अनुदान	362%
चौदहवां वित्त आयोग (2015-20)	रु. 87,144 करोड़ का अनुदान	277%

- अनुदान से नगर पालिकाओं के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि हों जिससे वे अपने सांविधिक आबंटित कार्य कर सकें।
- मूल एवं निष्पादन अनुदान का विभाजन 80:20 आधार पर होगा।

भूमि-आधारित वित्तपोषण साधनों के उपयोग संबंधी एफएफसी की सिफारिशें

- ***रिक्त भूमि कर*** *शुल्क पर विचार किया जाए*
- ***रूपांतरण प्रभार*** *भूमि प्रयोग रूपांतरण के समय लिया जाता है, उदाहरणार्थ ग्रामीण से शहरी प्रयोग, और आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोग में रूपांतरण- राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के साथ इसका हिस्सा बांटा जा सकता है*
- ***दर्जा उन्नयन करः*** *राज्यों द्वारा दर्जा उन्नयन कर लगाने हेतु नियमों का स्पष्ट ढांचा तैयार किया जाए*

अन्य भूमि-आधारित वित्तीय साधन (जारी)

- ***संघात कर*** *द्वारा शहरी अवसंरचना पर मकानों के विभिन्न संघातों में अंतर किया जाता है और निर्माण अनुमति देने के दौरान लगाया जाता है- आवासीय एवं वाणिज्यिक मकानों के लिए भिन्न दरें।*
- ***फ्लोर स्पेस इंडेक्स*** *(एफएसआई) अधिकार के तौर पर निर्धारित न्यूनतम से परे - ये ऊंचे दर पर लगाए जा सकते हैं क्योंकि वे भूमि लागतों और विकसित सम्पत्ति से संबद्ध हैं।*
- *यूएलबी इन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है*

अन्य भूमि-आधारित वित्तीय साधन (जारी)

- ***कर संवृद्धि वित्तपोषण:*** *स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर में स्मार्ट शहर सुधार की लागत मूल्यांकित की जाती है:*
  - क्षेत्र में नये अवसंरचना निवेश हेतु वित्त के लिए, सम्पत्ति कर में वृद्धि से प्राप्त राजस्व को निर्धारित समय के लिए निलंब लेख किया जाता है
  - इससे व्यय को स्थानीय निवासियों के लिए प्रासंगिक परिणामों से जोड़ने से जवाबदेही बढ़ेगी

एफएफसी की अन्य सिफारिशें

- ***विज्ञापन करः*** *दो घटक- होर्डिंग पर कर और बसों, कारों, बिजली के खम्भों तथा चहारदीवारी पर लगाए गए विज्ञापनों पर कर- स्थानीय निकायों द्वारा यह कर लगाने हेतु राज्य उन्हें सशक्त बना सकते हैं*
- ***मनोरंजन करः*** *मनोरंजन के अधिक और नये माध्यम कवर करने के लिए राज्यों द्वारा अपनी विद्यमानता बढ़ाने की कार्रवाई की जाए*
- ***व्यवसाय करः*** *अधिकतम सीमा रु. 2500 से बढ़ाकर रु. 12000 प्रति वर्ष की जाए।*

नगर बॉण्ड

कर्ज वित्तपोषण - नगर बॉण्ड

- यूएलबी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि यह साधन इस्तेमाल करने के लिए उनके पास साख नहीं है
- भारत की लगभग सभी नगरपालिकाएं अधिनियम, यूएलबी द्वारा अपने बजट संतुलित करने और उधार लेने से पहले राज्य सरकार की अनुमति मांगने के बारे में, उनके निधि उधार लेने के अधिकारों पर प्रतिबंध डालती है। ये अनुमतियां परियोजना-आधारित होती हैं और तदर्थ आधार पर दी जाती हैं।

नगर बॉण्ड

- लघु अवधि में, जमा वित्तपोषण विकल्प हो सकता है जिसके जरिए कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाले यूएलबी, कई सहभागी यूएलबी के साथ जोखिम बांटकर बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं- **जमा वित्त विकास निधि**
- **निःशुल्क नगरपालिका बॉण्ड** बड़ा प्रोत्साहन बन सकते हैं
- गुजरात (अहमदाबाद), तमिलनाडु (चेन्नई तथा मदुरै) तथा कर्नाटक (बंगलौर), तेलंगाना (हैदराबाद), आंध्र प्रदेश (विजाग) और महाराष्ट्र (नागपुर तथा नाशिक) में यह प्रयास किया गया है।

नगरपालिका बॉण्ड की अद्यतन प्रगति

- स्मार्ट शहरों की ज़रूरतों को देखते हुए, डीईए ने साख और बॉण्ड तैयारी तथा एक संव्यवहार करने के लिए कुछ शहरों (चेन्नै, इंदौर, भुवनेश्वर) का मूल्यांकन करने की परियोजना शुरू की है

वित्त के अन्य स्त्रोत-

बहुपक्षीय, एनआईआईएफ, अभिसरण

विश्व बैंक/एडीबी से सहायता

- 5 वर्षों की अवधि में (2015-20) डब्ल्यूबी से $ 500 मिलियन और एडीबी से $ 1 बिलियन प्राप्त करने का काम जारी है
- स्मार्ट शहर एसपीवी को निधि प्रदान करने के लिए प्रयोग होंगे- वास्तविक तौर-तरीके तय किए जा रहे हैं
- राउंड वन स्मार्ट शहरों के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2016 तक ऋण उपलब्ध होना चाहिए

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि

- उद्देश्यः **वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य परियोजनाओं**, हरित क्षेत्र तथा ब्राउनफील्ड में, मुख्यतः अवस्थापना विकास के जरिए आर्थिक संघात अधिकतम करना।
- एनआईआईएफ का प्रारंभिक प्राधिकृत कोष रु. 20,000 करोड़ होगा।
- कार्यों में निवेश-पोषण शामिल हैं, जिसमें ऋण एवं इक्विटी निवेश हेतु उम्मीदवार कम्पनियों/संस्थाओं/परियोजनाओं (राज्य संस्था (एन्टिटि) सहित) पर विचार और अनुमोदित किया जाएगा
- अवस्थापना वित्तपोषण करने वाले एनबीएफसी/एफआई हेतु इक्विटी सहयोग के लिए भी निधियां उपलब्ध होंगी।

अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समाभिरूपता

- अमृत और स्मार्ट शहर अभियान के बीच मज़बूत समाभिरूपता - अधिकतर स्मार्ट शहर (क्षेत्र-आधारित) भी अमृत शहर होंगे (परियोजना-आधारित)।
- आयोजना चरण में ही, शहरों को एससीपी में अमृत, एसबीएम, हृदय, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, हाउसिंग फॉर ऑल, इ. के साथ मिलाने की मांग करनी होगी।

सारांश में, स्मार्ट शहरों के वित्तपोषण हेतु अतिरिक्त संसाधन

- भारत सरकार की निधियां: रु. 500 करोड़
- राज्यों/यूएलबी द्वारा मिलान योगदानः रु. 500 करोड़
- उपयोगकर्ता फीस
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी
- एफएफसी सिफारिशें (भूमि आधारित- उपकरण सहित)
- नगरपालिका बांड
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से कर्ज
- राष्ट्रीय निवेश और अवस्थापना कोष (एनआईआईएफ)
- अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समाभिरूपता

धन्यवाद